



रजि०न०एल०डब्लू/एल०पी०८९०
लाइसेंस न०डब्लूपी०-४१
लाइसेंस व पोस्ट एण्ड कन्सन्सल

सरकारी गजट उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

साधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-४ खण्ड (ख)

परिनियत आदेश

लखनऊ मंगलवार १९ दिसम्बर २०००

अग्रहायण २८ १९२२ शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

कर एवं निबंधन अनुभाग-५

सं० क०नि०-५-१३/११-२००१-५००(८०)-९८

लखनऊ २ फरवरी २००१

अधिसूचना

प०आ० १५७१

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, १८९९ (अधिनियम सं० २ सन् १८९९) की धारा-९ की उपधारा-१ के खण्ड (क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल सरकारी गजट में इस अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से सरकारी अधिसूचना सं० क०नि०-५-७२४३/११-२०००-५००(८०)-९८ दिनांक १९ दिसम्बर २००० में निम्नलिखित संशोधन करते हैं।

संशोधन

उपर्युक्त अधिसूचना में प्रथम पैरा में खण्ड (क) में शब्दों में और अंको में ६ नवम्बर, १९९६ के स्थान पर शब्द और अंक २३ मई १९९२ रख दिये जाएंगे

आज्ञा से
टी०जार्ज जोसेफ
प्रमुख सचिव।